न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द

(नरेश बुनकर आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

अपील संख्या :– 20/2022
जीसीएमएस न0:– 2022/99
दायर दिनांक :– 16/05/2022
निर्णय दिनांक :– 18/09/2023

अनवान

1. श्री नारायणलाल पिता भुरा जी जाति बैरवा निवासी नयाखेडा, बिनोल तह0 कुंवारिया, जिला राजसमन्द

———अपीलांट

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार कुंवारिया जिला राजसमन्द

———रेस्पोडेण्ट

अपील अर्न्तगत धारा 75, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार कुंवारिया प्रकरण संख्या 523/2021, निर्णय दिनांक 28.12.2021

उपस्थित :–

1– श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता अपीलांट

2– श्री अनिल कुमार बागोरा, राजकीय अधिवक्ता

–: निर्णय :–

निर्णय दिनांक 18.09.2023

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है । अपीलांट द्वारा राजस्व ग्राम बिनोल तहसील कुंवारिया की आराजी नम्बर 2603 रकबा 226.02 बीघा में से 6.00 बीघा किस्म बंजड पहाड भूमि पर अतिक्रमण कर लिये जाने की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया है । पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 91 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर विवादित भूमि से अतिक्रमी को बेदखल करने एवं भूमि पर अतिक्रमी मानते हुये वार्षिक लगान रूपये 3.60 रूपये का 50 गुणा शास्ति रूपये 180/– आरोपित करने के दण्ड से दण्डित करने का निर्णय दिनांक 28.12.2021 को पारित किया । अधिनस्थ न्यायालय के इस निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी ।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की मियाद के बिन्दू पर बहस सुनी । अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण सन्तोषप्रद प्रतीत होने से विलम्ब अवधि को कण्डोन किया जाकर अपील को अवधि में शुमार किया जाता है ।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी, अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में कथन किया है कि अपीलांट के विरूद्ध अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश न्याय विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से अपास्त योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण में अपीलाण्ट को अतिकमी मानने में भारी विधिक भूल की है। अपीलाण्ट ने उक्त भूमि जो कि किस्म मगरी थी उस पर काफी मेहनत कर भूमि को विकसित कर काश्त योग्य बनाया हैं और मगरी भूमि से काफी मेहनत कर लागत लगाकर इस भूमि को फसल उगाने जैसी विकसित की है। ऐसी परिस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को अतिकमी मानने में भारी विधिक भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

अपीलाण्ट को अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया हैं। अपीलाण्ट का वर्षों से कब्जा आधिपत्य होने से धारा 91 की कार्यवाही के जरिये बेदखल नहीं किया जा सकता। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी राजस्थान राज्य बनाम मदमावती के मामले में उक्त प्रकार से की जा रही बेदखली की कार्यवाही को विधि विरूद्व एवं अवैध माना है। यहां यह भी उल्लेखनीय हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह विधिक आदेश की परिभाषा में भी नहीं आता हैं।अपीलाण्ट का वर्षो से कब्जा आधिपत्य चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को अपने पास उपलब्ध रेकर्ड के आधार पर नियमन करने की कार्यवाही करनी थी । लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेकर्ड का अवलोकन किये बिना ही अपने मनमकसूद तरीके से आदेश पारित करने में त्रुटि कारित की है। अपीलाण्ट का उक्त भूमि पर पिछले 25 वर्षों से अधिक समय से कब्जा आधिपत्य चला आ रहा है और अपीलाण्ट द्वारा फसल प्राप्त की जा रही है। अपीलाण्ट उक्त भूमि अपने नाम पर नियमन कराने का भी अधिकारी है। राज्य सरकार द्वारा बिलानाम भूमि पर नियमन करने हेतु परिपत्र कमांक प.–6(7) राज–4/77/2 दिनांक 11.01.2008 में सिवाय चक भूमियों पर दिनांक 15.07.1994 तक कृषि हेतु किये गये अतिक्रमणों को नियमन करने की जारी निर्देशों में नियमन की दिनांक 15.07.1994 से बढाकर दिनांक 01.01.2000 तक कर दिया गया है। जबकि अपीलाण्ट का कब्जा 2000 से भी पूर्व का है। अपीलाण्ट का मामला नियमन योग्य हैं लेकिन उसे अपना पक्ष रखने का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई अवसर नहीं दिया गया। अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जावे एवं अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे।

राजकीय अधिवक्ता का तर्क है कि राजस्व ग्राम बिनोल तहसील कुंवारिया की आराजी नम्बर 2603 रकबा 226.02 बीघा में से 6.00 बीघा किस्म बंजड पहाड भूमि पर अतिक्रमी द्वारा नाजायज कब्जा कर अतिक्रमण किया गया । अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पर्याप्त सुनवाई एवं दस्तावेज पेश करने का अवसर दिया गया है। अपीलाण्ट द्वारा नियमित कब्जा सम्बन्धी कोई दस्तावेज ठोस सबूत साक्ष्य पेश नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अतिक्रमी के विरूद्व जो निर्णय व कार्यवाही की गई हैं, वह उचित प्रतीत होती है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा की गयी सारी कार्यवाही विधिसम्मत है और अधिनस्थ न्यायालय का आदेश बहाल रखा जावें । अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावें ।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस ,प्रस्तुत विधिक नजीरों, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध, रिकार्ड, एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा राजस्व ग्राम बिनोल तहसील कुंवारिया की आराजी नम्बर 2603 रकबा 226.02 बीघा में से 6.00 बीघा किस्म बंजड पहाड भूमि पर अतिक्रमण है, अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अतिक्रमी के विरूद्व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956, की धारा–91, में की गई बेदखली की कार्यवाही तथा लगान 3.60 रूपये का 50 गुणा शास्ति रूपये 180/– आरोपित करने के अधीनस्थ न्यायालय के आदेश राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–91, के प्रावधानों व निर्धारित विधिक प्रकियानुसार होने से विधि सम्मत है, अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना विधि के प्रावधानों के अन्तर्गत नहीं है, अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश बहाल रखा जाता हैं, अपील अपीलाण्ट अस्वीकार कर खारीज की जाती है।

(नरेश बुनकर) 18/09/2023
अति0 जिला कलक्टर
राजसमन्द

निर्णय आज दिनांक 18.09.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया जो शामिल पत्रावली रहे, संबंधित को नियमानुसार पालनार्थ प्रेषित हों। पत्रा0 फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर रहें।

(नरेश बुनकर) 18/09/2023
अति0 जिला कलक्टर
राजसमन्द